29

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : दो–निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/1537 – विरूद्व आदेश दिनांक 19–7–2016 – पारित व्दारा – नायव तहसीलदार मुंगावली, जिला अशोकनगर – प्रकरण कमांक 4 अ 70/2015–16

मोहर सिंह लोधी पुत्र रामप्रसाद लोधी
ग्राम केशलोन तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश । ———आवेदक

विरूद्व

1– मध्य प्रदेश शासन
2– नीरज पुत्र स्व. भॅवरलाल
3– यशपाल उर्फ किरण्कुमार पुत्र स्व.भॅवरलाल
ग्राम केमरखेड़ी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव़)
(अनावेदक के अभिभाषक सी.एम.गुप्ता़)
(शासन के पैनल अभिभाषक श्री आर.पी.पालीवाल़)

आ दे श

(आज दिनांक 6–03–2018 को पारित)

नायव तहसीलदार मुंगावली, जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 4 अ 70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19–7–16 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 2, 3 ने नायव तहसीलदार मुंगावली को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम केशलोन की नायव तहसीलदार के आदेश में अंकित कुल किता 3 सर्वे नंबर की भूमियॉ उनके व उनकी मॉ तथा बहिन के नाम दर्ज है जो शासन से पटटो पर प्राप्त हुई है जिसका सीमांकन भी होकर मुडिडयॉ गड़ी है परन्तु आवेदक ने उनकी

भूमियों पर जबरन कब्जा कर लिया है जिसकीपुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज है । आवेदक से भूमि का कब्जा वापिस दिलाया जावे। नायव तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 4 अ 70/ 2015–16 पॅजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 19–5–17 पारित किया तथा आवेदक व्दारा अनावेदक क 2,3 की भूमि पर जबरन कब्जा करना प्रमाणित पाये जाने से रूपये 10,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण कमांक 4 अ 70/ 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19–5–16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार मुंगावली ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आदेश पारित किया है जो अंतिम आदेश है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में व्यवस्था दी गई है कि :–

धारा 44 अपील तथा अपील प्राधिकारी –

(1) उस स्थिति को छोड़कर जहां अन्यथा उपबंधित किया गया है इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित प्रत्येंक मूल आदेश की अपील –

(क) उस दशा में जब कि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है, चाहे आदेश पारित करने वाले अधिकारी में कलेक्टर की शक्तियॉ विनिहत हों या नहीं – उपखंड अधिकारी को होगी।

सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अंतर्गत वाद संस्थित किये जाने हेतु क्षेत्राधिकार के सिद्वांत दिये गये हैं , वे सामान्यतः सभी राजस्व प्रकरणों में लागू होते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के संबंध में विस्तृत प्रावधान नहीं किये गये हैं। सिविल प्रकिया

संहिता , 1908 की अनेक धारायें मार्ग–दर्शक रूप में प्रयोज्य है। विचाराधीन प्रकरण में संहिता की धारा 44 में उपरोक्तानुसार प्रावधान है कि उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने आदेश पारित किया है, चाहे आदेश पारित करने वाले अधिकारी में कलेक्टर की शक्तियॉ विनिहत हों या नहीं – उपखंड अधिकारी को होगी। नायव तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर के 4 अ 70/ 2015–16 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 19–5–16 के विरूद्व उपखंड अधिकारी को अपील प्रस्तुत न करते हुये सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी श्रवण करना उचित प्रतीत नहीं होता है । जब आवेदकगण को यही अनुतोष नीचे के अन्य अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने की प्रत्याशा है तब उसे कनिष्ठ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर न्याय प्राप्त करना चाहिये, अन्यथा नीचे के न्यायालयों से अनुतोष प्राप्त करने का हक समाप्त हो जावेगा। आवेदक चाहें – इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। फलस्वरूप पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुये निगरानी गुणदोष पर विचार किये बिना निराकृत करते हुये इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर